

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

विषय सूची

खण्ड-

१. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
२. धारा २ का संशोधन.
३. धारा २० का प्रतिस्थापन.
४. नई धारा १२२क का अंतः स्थापन.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १६ सन् २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, २०२४

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो:-

१. (क) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश माल और सेवा कर (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०२४ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

(ख) इस अधिनियम के उपबंध ऐसी तारीख से प्रवृत्त होंगे, जैसी कि राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे:

२. मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है की धारा २ में खण्ड (६१) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

धारा २ का संशोधन.

“(६१) “इनपुट सेवा वितरक” से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे पूर्तिकार का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है और धारा २० में उपबंधित रीति में ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय वितरित करने के लिए दायी है;”.

३. मूल अधिनियम की धारा २० के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाए, अर्थात्:-

धारा २० का प्रतिस्थापन.

“२०. (१) माल या सेवाओं या दोनों के पूर्तिकार का कोई कार्यालय, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे कर बीजक प्राप्त करता है, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन कर से दायी सेवाओं के संबंध में बीजक सम्मिलित हैं या धारा २५ में निर्दिष्ट सुभिन्न व्यक्तियों के निमित्त कर बीजक प्राप्त करता है, से धारा २४ के खंड (viii) के अधीन इनपुट सेवा वितरक के रूप में रजिस्ट्रीकृत होने की अपेक्षा होगी और वह ऐसे बीजकों के संबंध में इनपुट कर प्रत्यय का वितरण करेगा.

इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति.

(२) इनपुट सेवा वितरक उसके द्वारा प्राप्त बीजकों पर राज्य कर प्रत्यय या प्रभारित एकीकृत कर का, जिसके अंतर्गत धारा ६ की उपधारा (३) या उपधारा (४) के अधीन उसी राज्य में रजिस्ट्रीकृत सुभिन्न व्यक्ति द्वारा संदत्त कर उद्ग्रहण के अधीन सेवाओं के संबंध में राज्य या एकीकृत कर के प्रत्यय को उक्त इनपुट सेवा वितरक के रूप में ऐसी रीति में और ऐसे समय के भीतर तथा ऐसे निर्बंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, वितरण करेगा.

(३) राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में एक ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट होगी, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, वितरण किया जाएगा;”.

४. मूल अधिनियम की धारा १२२ के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतः स्थापित की जाए, अर्थात्:-

नई धारा १२२क का अंतः स्थापन.

“१२२क. (१) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे माल के विनिर्माण में लगा है, जिसके संबंध में धारा १४८ के अधीन मशीनों के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में कोई विशेष प्रक्रिया अधिसूचित की गई है, उक्त विशेष प्रक्रिया के उल्लंघन में कार्य करता है, तो वह किसी ऐसी शास्ति के अतिरिक्त, जो अध्याय १५ के अधीन या इस अध्याय के किन्हीं अन्य उपबंधों के अधीन उसके द्वारा संदत्त की गई है या संदेय है, प्रत्येक ऐसी मशीन के लिए, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, एक लाख रुपए की रकम के बराबर किसी शास्ति के लिए दायी होगा.

विशेष प्रक्रियानुसार माल के विनिर्माण में उपयोग की जाने वाली कतिपय मशीनों को रजिस्टर कराने में असफल रहने के लिए शास्ति.

(२) प्रत्येक ऐसी मशीन, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत नहीं है, उपधारा (१) के अधीन शास्ति के अतिरिक्त, अभिग्रहण और अधिहरण के लिए दायी होगी :

परंतु ऐसी मशीन का अधिहरण नहीं किया जाएगा, जहां,-

(क) इस प्रकार अधिरोपित शास्ति का संदाय कर दिया गया है; और

(ख) ऐसी मशीन का रजिस्ट्रीकरण, शास्ति के आदेश की संसूचना की प्राप्ति से तीन दिन के भीतर, विशेष प्रक्रिया के अनुसार किया गया है;".

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

कर प्रशासन में स्पष्टता लाने के लिए इनपुट सेवा वितरक की परिभाषा तथा इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन किया जाना आवश्यक है. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति के लिए विशिष्ट उपबंध भी किया जाना आवश्यक है. इस हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) में संशोधन किया जाना अपेक्षित है.

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ में निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं, अर्थात:-

१. "इनपुट सेवा वितरक" की परिभाषा में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २ में संशोधन किया गया है.

२. इनपुट सेवा वितरक द्वारा प्रत्यय के वितरण की रीति में संशोधन करने हेतु मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा २० में संशोधन किया गया है.

३. माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कतिपय मशीनों को विशेष प्रक्रिया के अनुसार रजिस्टर करने में असफलता के लिए शास्ति हेतु मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ की धारा १२२क का अंतः स्थापन किया गया है.

अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

तारीख : २ जुलाई, २०२४.

जगदीश देवड़ा

भारसाधक सदस्य.

"संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित."

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, २०१७ (क्रमांक १६ सन् २०१७) से उद्धरण

* * * *

धारा २ (६१) "इनपुट सेवा वितरक" से माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता का कार्यालय अभिप्रेत है, जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के मद्दे धारा ३१ के अधीन जारी कर बीजक प्राप्त करता है और उक्त कार्यालय के समान स्थायी खाता संख्यांक वाले कराधेय माल या सेवाओं या दोनों के ऐसे प्रदायकर्ता को उक्त सेवाओं पर संदत्त केन्द्रीय कर, राज्य कर, एकीकृत कर या संघ राज्यक्षेत्र संबंधी कर के प्रत्यय का वितरण करने के प्रयोजनों के लिए कोई विहित दस्तावेज जारी करता है।

* * * *

२०. (१) इनपुट सेवा वितरक, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, कोई ऐसा दस्तावेज जारी करके, जिसमें वितरण किए जाने वाले इनपुट कर प्रत्यय की रकम अंतर्विष्ट हो, राज्य कर के प्रत्यय का राज्य कर या एकीकृत कर के रूप में और एकीकृत कर का एकीकृत कर या राज्य कर के रूप में वितरण करेगा।

(२) इनपुट सेवा वितरक, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, प्रत्यय का वितरण कर सकेगा,

अर्थात्-

- (क) प्रत्यय के प्राप्ति कर्ताओं को किसी दस्तावेज के लिए, जिसमें ऐसे ब्यौरे अंतर्विष्ट हों, जो विहित किए जाएं, प्रत्यय का वितरण किया जा सकता है।
- (ख) वितरण किए गए प्रत्यय की रकम, वितरण के लिए उपलब्ध प्रत्यय की रकम से अधिक नहीं होगी।
- (ग) किसी प्रत्यय के प्राप्ति कर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर प्रत्यय का वितरण केवल उस प्राप्तिकर्ता को ही किया जाएगा।
- (घ) एक से अधिक प्रत्यय के प्राप्तिकर्ता को मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्त कर के प्रत्यय का वितरण ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच किया जाएगा, जिनके लिए इनपुट सेवा मानी जा सकती है और ऐसा वितरण सुसंगत अवधि के दौरान ऐसे प्राप्तिकर्ता के राज्य में के आवर्त या संघ राज्यक्षेत्र में के आवर्त के आधार पर, ऐसे सभी प्राप्तिकर्ताओं के जिनके लिए ऐसी इनपुट सेवा मानी गई है, जो कि वर्तमान वर्ष में परिचालित है उनका सकल आवर्त, आवर्त का अनुपाततः होगा।
- (ङ) प्रत्यय के सभी प्राप्तिकर्ताओं के लिये मानी गई इनपुट सेवाओं पर संदत्तकर प्रत्यय का ऐसे प्राप्तिकर्ताओं के बीच वितरण किया जाएगा और ऐसा वितरण, सुसंगत अवधि के दौरान सभी प्राप्तिकर्ताओं के संकलित आवर्त और जो उक्त सुसंगत अवधि के दौरान चालू वर्ष में सक्रियात्मक हैं,

ऐसे प्राप्ति कर्ता के राज्य में के आवर्त या संघराज्य क्षेत्र में के आवर्त के आधार पर अनुपाततः होगा।

स्पष्टीकरण-इस धारा के प्रयोजनों के लिए-

(क) "सुसंगत अवधि"-

- (एक) यदि प्रत्यय के प्राप्ति कर्ता का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में आवर्त है तो उक्त वित्तीय वर्ष होगी।
- (दो) यदि प्रत्यय के कुछ या सभी प्राप्तिकर्ताओं का, उस वर्ष के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, उनके राज्यों या संघराज्य क्षेत्रों में कोई आवर्त नहीं है तो ऐसा उस मास के पहले का, जिसके दौरान प्रत्यय का वितरण किया जाना है, ऐसी अंतिम तिमाही होगी, जिसके लिए सभी प्राप्तिकर्ताओं के ऐसे आवर्त के ब्यौरे उपलब्ध है।

